

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.1(03)खान/ग्रुप-1/2025

जयपुर, दिनांक: यथाहस्ताक्षर

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत खनि अभियंता के पद की वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 की विभागीय पदोन्नति समिति बैठक दिनांक 31.12.2025 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक खनि अभियंता को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर खनि अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2023-24

क्र.स.	अधिकारी का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
01	श्री मनोज तंवर	24.02.1986	अनारक्षित	2023-24	01.04.2023
02	श्री अमीचन्द दुहारिया	29.05.1972	अ.जा.	2023-24	01.01.2024
03	श्री लक्ष्मीचन्द मीणा	03.04.1986	अ.ज.जा.	2023-24	01.01.2024

वर्ष 2024-25

क्र.स.	अधिकारी का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
01	श्री पुष्पेंद्र सिंह	02.07.1983	अनारक्षित	2024-25	01.07.2024
02	श्री प्रमोद कुमार बलवदा	17.08.1973	अनारक्षित	2024-25	01.08.2024
03	श्री स्वरूप सिंह गहलोत	19.11.1983	अनारक्षित	2024-25	01.02.2025
04	श्री राकेश शेषमा	02.09.1990	अनारक्षित	2024-25	04.03.2025

वर्ष 2025-26

क्र.स.	अधिकारी का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
01	श्री प्रकाश माली	03.11.1983	अनारक्षित	2025-26	07.04.2025
02	श्री राजेन्द्र चौधरी	25.12.1984	अनारक्षित	2025-26	01.06.2025
03	श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल	01.01.1970	अनारक्षित	2025-26	01.07.2025
04	श्री सोहनलाल सुथार	15.02.1969	अनारक्षित	2025-26	01.08.2025

उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे एवं वर्तमान पद का कार्य आगामी आदेश तक यथावत सम्पादित करेंगे।

नोट :- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अरविन्द सारस्वत)
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पता : कमरा संख्या 02, तृतीय तल,

पुस्तकालय भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

दुरभाष 0141-2926429,

ई-मेल आईडी: JS.MINES@RAJASTHAN.GOV.IN

RajKaj Ref No.:
20123093

Signature valid

Digitally signed by Arvind Saraswat
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.01.28 14:43:14 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Arvind Saraswat
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.01.28 14:43:14 IST
Reason: Approved